



शीर्षक:-जनपद मथुरा में मथुरा-सादाबाद मार्ग (MDR-102) कि.मि.11 (चैनेज -10.765) के खसरा संख्या 177 मार्ग के बायीं पटरी पर ग्राम मुबारकपुर बांगर पर (बी. पी. सी. एल.) न्यू रिटेल आउट-लेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.03678 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु।

२०१२-२२ (५३)

प्रपोजल संख्या:- FP/UP/Approach/42689/2019

दिनांक :- 05/12/2019

मानक शर्तें

(वन अनुभाग -3 उ. प्र. शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

- 1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
- 4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त है अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5- हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को कराना होगा।
- 6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित जिलाधिकारी की देख रेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में नए पुराने आदि की देखभाल करेगा।
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया गया। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की पूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।

डॉ-1, इंडस्ट्रियल एरिया, माइट-बी, पोस्ट-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281 005 (उ.प्र.) दूरभाष : 0565-2480007, 2480070, 2480008, 2480529 फैक्स 0565-2480008, 2480008, 2480529
रजिस्टर्ड ऑफिस : भारत भवन, 4 & 6, करीमभाई रोड, बैलार्ड एस्टेट, पोस्ट बॉक्स सं० 688, मुम्बई - 400 001

D-1, U.P.S.I.D.C., Industrial Area, Site 'B', P.O. Mathura Refinery, Mathura-281005 (U.P.) Tel. : 0565-2480007, 2480070, 2480008, 2480529 Fax 0565-2480008, 2480008, 2480529
Registered Office : Bharat Bhawan, 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai - 400 001
CIN No.: L23220MH1952GOI008931

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पॉस्ट-बी-1, सेडन-26, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-बी,
पोस्ट ऑफिस-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281005

आर० एन० मिश्रा
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा



शीर्षक:-जनपद मथुरा में मथुरा-सादोबाद मार्ग (MDR-102) कि.मि.11 (चैनेज -10.765) के खसरा संख्या 177 मार्ग के बायीं पटरी पर ग्राम मुबारकपुर बांगर पर (बी. पी. सी. एल.) न्यू रिटेल आउट-लेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.03678 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु ।

प्रपोजल संख्या:- FP/UP/Approach/42689/2019

दिनांक :- 05/12/2019

- 9- सिचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन कि नर्सरियों पौधों के एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
- 10- वन विभाग द्वारा हस्तान्तरिक भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार के लिए का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किए गए विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।
- 11- सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्टार पर वन विभाग का परामर्श उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेरबदल पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
- 12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो विभाग को मान्य होगा।
- 13- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ.प्र. वन विभाग अथवा अन्य कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
- 14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों को प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा नियन्त्रित किए जाएं

डॉ-1, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-बी, पोस्ट-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281 005 (उ.प्र.) दूरभाष : 0565-2480007, 2480070, 2480008, 2480529 फैक्स : 0565-2480008, 2480070, 2480008, 2480529
रजिस्टर्ड ऑफिस : भारत भवन, 4-6, करीमभाय रोड, बैलार्ड एस्टेट, पोस्ट बॉक्स सं० 688, मुम्बई - 400 001

D-1, U.P.S.I.D.C., Industrial Area, Site 'B', P.O. Mathura Refinery, Mathura-281005 (U.P.) Tel. : 0565-2480007, 2480070, 2480008, 2480529 Fax : 0565-2480008, 2480070, 2480008, 2480529
Registered Office : Bharat Bhawan, 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.O. No. 688, Mumbai - 400 001
CIN No.: L23220MH1952GOI008931

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
साइट-डी-1, रोड नं. 26, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-बी,
पोस्ट ऑफिस-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281005

आर० एन० मिश्रा
प्रभागिय विदेशक
प्रभागिय वानिकी प्रभाग
05/12/2019



शीर्षक:-जनपद मथुरा में मथुरा-सादाबाद मार्ग (MDR-102) कि.मि.11 (चैनेज -10.765) के खसरा संख्या 177 मार्ग के बायीं पटरी पर ग्राम मुबारकपुर बांगर पर (बी. पी. सी. एल.) न्यू रिटेल आउट-लेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.03678 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु।

प्रपोजल संख्या:- FP/UP/Approach/42689/2019

दिनांक :- 05/12/2019

का भुगतान वन विभाग को करना होगा। किसी प्रकरण बीज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

- 15- वनभूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा या खम्भों को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षक करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक अनुमोदन आवश्यक है।
- 16- यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों की पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करेगा।
- 17- उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मथुरा पर वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
- 18- वनविभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाए जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए। मैं भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मथुरा का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मथुरा को उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

Place: MATHURA

Date: 05/12/2019

Signature of User Agency

Office Seal

(Signature)
आर० एन० मिश्रा
प्रभावीय निदेशक
सामयिक वानिकी प्रभाग
11/12/2019

डी-1, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-बी, पोस्ट-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281 005 (उ.प्र.) दूरभाष : 0565-2480007, 2480070, 2480008, 2480529 फैक्स : 91-0565-2480208
रजिस्टर्ड ऑफिस : भारत भवन, 4-6, करीमभाई रोड, बैलार्ड एस्टेट, पोस्ट बॉक्स सं० 688, मुम्बई - 400 001

D-1, U.P.S.I.D.C., Industrial Area, Site 'B', P.O. Mathura Refinery, Mathura-281005 (U.P.) Tel. : 0565-2480007, 2480070, 2480008, 2480529 Fax : 91-565-2480208
Registered Office : Bharat Bhawan, 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai - 400 001
CIN No.: L23220MH1952GOI008931

सुप्रतिम भट्टाचार्य

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्लॉट-डी-1, रोड नं. 26, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-बी,

पोस्ट ऑफिस-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281005